

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

दिनांक 09/02/2022

संख्या 02256/2021-2022



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/CHN/15523/2021-2022

पत्रावली संख्या: V-24188

दिनांक: 2001-2002

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि बृजनन्दी कान्वेंट स्कूल शिक्षा समिति, ग्रा0 व पो0 चहनियाँ, तह0 सकलडीहा, जिला-चन्दौली, उ.प्र. 232109, चन्दौली, 232109 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 136/2001-02 दिनांक- 14/05/2001 को दिनांक-14/05/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
1500 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(YOGESH CHANDRA TRIPATHI)
36C7B82300AB23E1B5B4ADB4A0050C19FC523A42
Date: 09/02/2022 2:00:28 PM, Location: Varanasi.

जारी करने का दिनांक-09/02/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

बिरजू प्रसाद अग्रहारी
Biraju Prasad Agrahari
Manager
Brijnandani Convent School
Chahanlya-Chandauli (U.P.)



एक हजार रुपये पेंपर - एका हजार रुपये पेंपर (मूल्य) दिनांक १०/१०/१९५१

संदिग्ध
 खाते नं० V. 24188 का खाते - ५१६ अथवा एन. ए. खाते नं० ५१६



सहायक निदेशक
 सर्व क्षेत्रीय एवं वि. वि.
 काशी

बिरजू प्रसाद अग्रहारी
 Biraju Prasad Agrahari
 Manager
 Brijnandani Convent School
 Chahanliya-Chandauli (U.P.)



एक हजार पांच रुपये का नोट

दिनांक २०/०२/५५
VI 241,880
Brijnandani Convent School
Chahaniya-Chandauli



५६.
३
२०.२.५५

बिरजू प्रसाद अग्रहणी
Biraju Prasad Agrahani
Manager
Brijnandani Convent School
Chahaniya-Chandauli (U.P.)

::-स्मृति-फ्र-::

.....

1-संस्था का नाम :-

ब्रिजनन्दनी कानवेंट स्कूल शिक्षा समिति।

2- संस्था का पता :-

ग्रा. व पो. चहानिया, तह. सफलडोहा, जिला- चन्दौली।

3- संस्था का कार्यक्षेत्र :-

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4- संस्था का उद्देश्य :-

संस्था का निम्नलिखित उद्देश्य होगा :-

§1§ बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिये नवतरी, प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालय की स्थापना करना, तथा उसे संचालित करना।

§2§ ज्ञान-विकास, भौतिक, शारीरिक, मानसिक शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना।

§3§ नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं का सुगुचित व्यवस्था करना।

§4§ सदाचार तथा आध्यात्मिक विकास के लिये पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।

§5§ निधेन अंतहाय तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

§6§ खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।

§7§ गिरसहर लागों का तालिम बनाने के लिये प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना।

§5§ प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है :-

सिद्ध प्रसाद

7/1/15 31/1/15

---2 पर

7/1/15 31/1/15

सुधा सुभा अग्रहारी

सौ. क. प्रसाद

सिद्ध प्रसाद अग्रहारी
Biraju Prasad Agrahari
Manager
Brijnandani Convent School
Chahaniya-Chandauli (U.P.)
2/12/15

संस्था पत्रिका

सिद्ध प्रसाद अग्रहारी

क्र. सं. नाम/पिता	पता	पद	व्यवसाय
1- श्री तिरजू प्रसाद अग्रहरी	ग्रा. व पो. चहानिया, चन्दौली।	अध्यक्ष	कृषि
पुत्र स्व० सन्तू प्रसाद अग्रहरी			
2- " विरजू प्रसाद अग्रहरी	"	प्रबंधक	"
पुत्र स्व० सन्तू प्रसाद अग्रहरी			
3- " श्रीनाथ प्रसाद	वाराणसी	सदस्य	"
पुत्र राधेप्रसाद			
4- " कृष्ण कुमार पुत्र	सैय्यदराजा, चन्दौली।	"	"
श्री कल्याण प्रसाद			
5- " गौकण्य पुत्र	ग्रा. व पो. इमौसी, चन्दौली।	"	"
श्री साहू प्रसाद			
6- " शम्भू प्रसाद पुत्र	गाजीपुर	"	"
श्री गोकुल प्रसाद			
7- " श्री २२२५२५२५२५२५ श्री २२२५२५२५२५२५	ग्रा. व पो. इमौसी गाजीपुर	"	"

6- हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृति-पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजि० एक्ट 21 स् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं :-

क्र. सं. नाम	पता	हस्ताक्षर,
1- श्री तिरजू प्रसाद अग्रहरी	ग्रा. व पो. चहानिया, जिला-चन्दौली।	तिरजू प्रसाद अग्रहरी
2- " विरजू प्रसाद अग्रहरी	"	विरजू प्रसाद अग्रहरी
3- " श्रीनाथ प्रसाद	वाराणसी।	श्रीनाथ प्रसाद
4- " कृष्ण कुमार	सैय्यदराजा, जिला- चन्दौली।	कृष्ण कुमार
5- " गौकण्य	ग्रा. व पो. इमौसी, जिला- चन्दौली।	गौकण्य
6- " शम्भू प्रसाद	जिला-गाजीपुर।	शम्भू प्रसाद
7- " श्री २२२५२५२५२५२५ श्री २२२५२५२५२५२५	ग्रा. व पो. इमौसी गाजीपुर	श्री २२२५२५२५२५२५

दिनांक 2-5-2001

तिरजू प्रसाद अग्रहरी
Biraju Prasad Agrahari
 Manager
 Brijnandani Convent School
 Chahaniya-Chandauli (U.P.)

::-नियमावली-:
:::~::~:

- 1- संस्था का नाम :- बृजनन्दनी कानवेन्ट स्कूल शिक्षा समिति।
2- संस्था का पता :- ग्रा. व पो. चहनिया, तह. सकलडीहा, जिला-चन्दौली।
3- संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी :-

- §अ§ आजीवन सदस्य :- वे व्यक्ति जो संस्था को 500/- पाँच सौ रूपया नकद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल-अचल सम्पत्ति एक बार में देगें, वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें।
§ब§ सामान्य सदस्य :- वे व्यक्ति जो संस्था को 51/-रुपचा वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेगें, वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेगें।
§स§ विशिष्ट सदस्य :- वे समाज के सम्मानित व्यक्ति जो संस्था को बुध्दार रूप से संवा-
लन के लिये तन, मन एवं धन से पूर्ण रूपेण सहयोग प्रदान करेगें, वे संस्था के प्रबंधसमिति के 2/3 बहुमत से विशिष्ट सदस्य मनोनीत कर लिये जायेगें।

§5§ सदस्यता की समाप्ति :- निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी :-

- §1§ किसी सदस्य के मृत्यु होने पर।
§2§ किसी सदस्य के स्वयं लिखित त्याग-पत्र देने पर।
§3§ किसी सदस्य के पागल या दीवालिया होने पर।
§4§ किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
§5§ किसी सदस्य के संस्था के विरूद्ध हानिकारक कार्य करने पर।
§6§ किसी सदस्य के निर्धारित शुल्क जमा न करने पर।
§7§ किसी सदस्य के बिना कारण बताये लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

§6§ संस्था के अंग :- संस्था के दो अंग होंगें :-

- §अ§ साधारण सभा
§ब§ प्रबंधकारिणी समिति।

§7§ साधारण सभा :-

§अ§ गठन :-

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नम्बर चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।



बिरजू प्रसाद अग्रहारी
Biraju Prasad Agrahari
Manager
Brijnandani Convent School
Chahaniya-Chandauli (U.P.)

सत्य प्रतिनिधि

बैठकें :-

साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष/आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :-

साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष/आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति :-

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों के कम से कम 2/3 उपस्थिति में साधारण सभा के सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

वार्षिक अधिवेशन :-

संस्था का वार्षिक अधिवेशन 26 जनवरी पर हर वर्ष हुआ करेगी। संस्था के कार्यालय पर।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. संस्था के गत वर्ष के बजट एवं कार्यकलापो आदि पर विचार करना, तथा आगामी वर्ष के लिये स्वीकृति प्रदान करना।

2. संस्था के प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव नियमानुसार करना।

3. संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान करना।

4. प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।

प्रबंधकारिणी समिति :-

गठन :-

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से प्रबंधकारिणी समिति का गठन किया जायेगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा प्रबंधसमिति के पाँच सदस्य होंगे।

बैठकें :-

प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार तथा विशेष/आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :-

प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 10 दिन पूर्व तथा विशेष/आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से दो दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

गणपूर्ति :-

प्रबंधकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों से कम से कम दो तिहाई उपस्थिति में सभी बैठकों को पूर्ण मानी जायेगी।

Brijnandan Agrahari
Manager
Brijnandan Convent School
Chahaniya-Chandauli (U.P.)

§ 9 रिक्त स्थानों की पूर्ति :- प्रबंधकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारि या सदस्य का स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के सदस्यों के बहुमत से श्रेष्ठ अवधि के लिये साधारण सभा के सदस्यों में से किसी भी योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया जायेगा।

§ 10 प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

§ 1 § संस्था के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना।

§ 2 § संस्था को सुचारु रूप से संचालन के लिये उपसमितियों का गठन करना।

§ 3 § संस्था के लिये सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों एवं वित्तीय संस्थाओं आदि से अनुदान, दान, चन्दे आदि को प्राप्त करना।

§ 4 § वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति आदि के लिये निर्णय लेना।

§ 5 § संस्था के लिये चल-अचल सम्पत्तियों की व्यवस्था करना।

§ 6 § अन्य सभी कार्यों का संचालन करना जो संस्था के हित में आवश्यक हों।

§ 11 कार्यकाल :-

प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से पाँच वर्ष का होगा।

§ 12 प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

§ 1 § संस्था के साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

§ 2 § किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक अलग से निर्णाय मत देना।

§ 3 § बैठक करने के लिये प्रबंधक के राय से दिनांको का अनुमोदन करना, तथा उसमें परिवर्तन करना।

§ 4 § अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे।

प्रबंधक :-

§ 1 § संस्था के लिये अनुदान, दान, चन्दे एवं सदस्यता शुल्क आदि को प्राप्त करना।

§ 2 § आवश्यकतानुसार सामान्य एवं विशेष आवश्यक बैठक बुलाना।
कोरम के अभाव में बैठकें स्थगित करना।

§ 3 § बैठक करने के लिये सूचनाये देना तथा बैठक के लिये सूचनाये देना तथा बैठक के लिये सूचनाये देना।

सदस्य प्रतिनिधि वाही को लिखना।

Biraju Prasad Agrahari
Manager
Brijnandani Convent School
Chhanliya-Chhandaura (C.P.)

§4§ संस्था से संबंधित कागजातों, प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।

§5§ वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशि आदि का भुगतान स्वीकृत करना।

§6§ वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना

§7§ आय-व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करवाना तथा आडिट

§8§ संस्था के विकास एवं विस्तार केलिये सम्पर्क स्थापित करना तथा संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

§9§ अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना।

§10§ संस्था के समस्त धनराशियों का रसीदें रखना।

§11§ संस्था के समस्त खातों की जिम्मेदारी वहन करना, तथा उनका आवतन लेखा-जोखा मुकम्मल रखना।

§12§ संस्था के समस्त आय को बैंक में जमा करना।

§13§ समय-समय पर संस्था के हित में आवश्यक सुझाव व निर्देश देना।

§14§ अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे।

§10§ संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-



साधारण त्मा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

§11§ संस्था का कोष :-

किसी भी स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था का समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा, जिसका संचालन प्रबंधक के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

§12§ संस्था के आय-व्यय का लेखापरीक्षण/आडिट :-

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबंधकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय-व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेखापरीक्षण कराई जायेगी।

§13§ संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :-

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधक पर होगा।

संस्था प्रतिकल्प

Biraju Prasad Agrahari

Manager

Brijnandani Convent School
Chandauli, Chandauli (U.P.)

§5§

§14§ संस्था के अभिलेख :- संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होंगे :-

- §1§ कार्यवाही रजिस्टर
- §2§ सदस्यता रजिस्टर
- §3§ स्टॉक रजिस्टर
- §4§ कैशबुक आदि होंगे।

§15§ संस्था के विघटन :- संस्था के विघटन तथा विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजि० अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य-प्रतिलिपि

दिनांक 2-5-2011

हस्ताक्षर,

Biraju Prasad Agrahari

Biraju Prasad Agrahari



Biraju Prasad Agrahari
Biraju Prasad Agrahari
Manager
Brijnandani Convent School
Chahaniya-Chandauli (U.P.)

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निदेशक